तिरंगा यात्रा 20 को

टोंक। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा जन संवाद कार्यालय में बैठक भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोती लाल मीणा के आथित्य में आयोजित हुई। बैठक में 13 मई से 23 मई तक देशभर में निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर चर्चा की गई।

डीग में जिला प्रभारी मंत्री रावत ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली

डीग /भरतपुर। जल संसाधन एवं जल संसाधन विभाग मंत्री एवं प्रभारी मंत्री भरतपुर व डीग सुरेश सिंह रावत ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए भूमि आवंटन, डीपीआर, टैंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुये विकास कार्यों को समय पर पूरा करें जिससे विकास कार्यों का लाभ आमजन को समयबद्ध मिल सके।

उन्होंने निर्देशित किया कि बजट घोषणा 2025-26 में जिले के संबंध में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक व भविष्य में सुगमता को देखते हुए उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने यह बात मंगलवार को पंचायत समिति सभागार डीग में बजट घोषणाओं 2024-25 एवं 2025-26 के संबंध में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। इस दौरान डीग-कुम्हेर विधायक डॉ शैलेश सिंह, कामां विधायक नौक्षम चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

'अंजारी डंगीका डीग एवं सेमली नगर में 132 केवी जीएसएस कार्य के लिए सिविल तथा इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु कार्यादेश जारी'

बैठक में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने पीपीटी के माध्यम से बजट घोषणा 2024-25 एवं 2025-26 के तहत अब तक हुए कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीग-कुम्हेर-भरतपुर में सांवई खेड़ा डिप्रेशन से गोवर्धन ड्रेन तक पानी लिफ्टिंग कार्य की दिनांक 7 मार्च 2025 को कार्यादेश राशि 545.66 लाख रुपए जारी किया गया है। 2700 मीटर के विरुद्ध 2250 मीटर पाइपलाइन डालने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पंप हाउस निर्माण के स्थान तक पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है एवं पंप हाउस के लिए बिजली कनेक्शन का कार्य प्रक्रियाधीन है। रसिया डीग में 33 केवी जीएसएस का कार्यादेश जारी करने के साथ ही कार्य प्रारंभ हो चुका है। 33 केवी लाइन तथा सब स्टेशन के पोल खड़े किए जा चुके हैं। लाइन का कार्य प्रगति पर है। 11 केवी के तीन फीडरों में से एक फीडर की लाइन खींची जा चुकी है। शेष 11 केवी फीडरों का कार्य प्रगतिरत है। इसी प्रकार सिरथला एवं जयश्री 33 केवी जीएसएस के तहत दोनों सबस्टेशन के लिए कार्यादेश जारी करने के पश्चात कार्य प्रारंभ हो चुका है। अंजारी डंगीका डीग एवं सेमली नगर में 132 केवी जीएसएस के संबंध में सिविल तथा इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए कार्यादेश जारी हो चुके हैं तथा केवी लाइन का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत पसोपा नगर में देवनारायण आवासीय विद्यालय को लेकर बताया गया कि 2 मई 2025 को एनआईटी की प्रक्रिया पूर्ण की गई।

प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा के लिए बैठक की।

■ अधिकारी अपने दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करते हुए बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध करें : प्रभारी मंत्री

ज्ञापन सौंपा

टोंक। एआईसीसी ह्यूमन राइट्स महिला प्रदेशाध्यक्ष संगीता राठी, उपाध्यक्ष समीना खान एवं कंजर समाज महापंचायत राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष ग्यारसीलाल गोगावत, उपाध्यक्ष मंजेश कर्मावत ने पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही नही होने पर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा।

औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित

कोटपूतली। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र एवं राजस्थान वित्त निगम, भिवाड़ी के तत्वावधान में नीमराना में मंगलवार को औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भारी संख्या में आगंतुकों और उद्यमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला उद्योग अधिकारी दिलखुश मीणा ने स्वागत उद्बोधन द्वारा उद्योग विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। जिनमें राजस्थान सरकार की नवीन योजनाओं यथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में नवीन व स्थापित उद्यमों हेतु ईएफसीआई में मिलने वाले छूट व लाभ, वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) पॉलिसी 2024 में ऑटो कंपोनेंट/प्रोडक्ट हेतु रजिस्ट्रेशन व मिलने वाले मार्जिन 15 से 25 लाख तक मार्जिन मनी, अनुदान, न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हेतु लाभ मार्केटिंग, प्रमोशनल असिस्टेंस इत्यादि की जानकारी दी। उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 के तहत एक्सपोर्टर्स को मिलने वाले विभिन्न अनुदान और राजस्थान डैडम पॉलिसी 2024 के लाभ के बारे में बताया।

जाति बदल कर जमीन की खरीद मामले में एसडीएम ने की जांच शुरू

अलवर। अलवर तहसील की माचडी पंचायत के अलापुर गांव में जाति बदल कर फर्जीवाडा कर जमीन को नाम कराने का मामला अब अलवर एसडीएम आईएएस यथार्थ शेखर के पास पहुंच गया है जमीन मालिक के वारिस पोते ने एक शिकायती पत्र दिया है जिसकी अलवर एसडीएम ने जांच भी शुरू कर दी है। अब जल्दी ही इस प्रकरण से पर्दा उठने वाला है जमीन की फर्जी कार्य में शामिल सभी आरोपियों पर जल्दी ही कानून का शिकंजा कसने वाला है। यह प्रकरण लगातार मीडिया में उठता रहा है जिस पर संज्ञान भी लिया गया है लेकिन लिखित शिकायत नही मिलने के कारण मामले की जांच नहीं हो पाई थी।

अलापुर निवासी गुर्जर मल के पोत्र दिनेश कुमार पुत्र किशोरी लाल ने इस संदर्भ में एक शिकायती पत्र अलवर एसडीएम को उनके कार्यालय पहुंच कर सौपा है जिसमें उसने बताया है हाल खसरा नम्बर 22 एवं 24 को जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह जाति राय सिख ने प्रथम बार जमीन मालिक गुजरमल पुत्र मवासी जाति जाटव खातेदार से मजबी सिख बनकर एससी की जमीन की खरीद की थी जिसका नामांतरण संख्या 536 एव 537 निर्णय 31 मई 1990 को स्वीकृत कर जमाबंदी 2045-48 मे नामांतरण का नोट अंकन कर दिया गया नामांतरण में भी जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह की जाति मजहबी सिख दर्ज की गई जिसने राजस्थान टीनेक्स एक्ट 1955 की धारा 42 का उल्लंघन किया गया है।

जिसके बाद से लगातार 2069-2072 खाता संख्या 106 में जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह निवासी पीपली का बास तहसील किशनगढ़ बास अलवर की जाति रिकार्ड में मजबी सिख दर्ज की गई। उस समय तत्कालीन पटवारी नंद किशोर परेवा हाल आफिस कानूनगो मालाखेडा द्वारा जमाबंदी 2069-72 के खाता संख्या 106 को आधार मानते हुए शुद्धि पत्र संख्या 2 दिनांक 14 जून 2018 को अलापुर से रणजीत पुत्र नत्था सिंह जाति राय सिख से मजबी सिख कर दी गई परन्तु जानबूझ कर उसी खाते में दर्ज जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह की जाति रायसिख से मजबी सिख करना छोड दी गई।

शिकायतकर्ता ने एसडीएम अलवर से मांग की है कि इस भूमि की खरीद फरोक्त में फर्जीवाडा किया गया है एवं फर्जीवाड़े में शामिल तत्कालीन पटवारी सहित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। जब इस मामले में कानून के जानकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि एससी की जमीन कानूनन एससी ही खरीद सकता है जबकि बंजार सिंह राय सिख होने के कारण ओबीसी में आता है और उसने जमीन खरीदने में जो जाति बदलने का फर्जीवाडा किया है।

एसडीएम अलवर यथार्थ शेखर का कहना है कि मुझे शिकायत मिली है मैं इस मामले को देख रहा हूं जैसे ही जांच कार्य पूरा होगा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।

■ वारिस ने दिया अलवर एसडीएम शिकायती पत्र,एसडीएम ने की जांच शुरू

श्री मारुति महायज्ञ 28 मई से

दौसा। श्री राम मंदिर गुप्तेश्वर रोड पर 28 मई से 5 जून तक आयोजित होने वाले श्री मारुति महायज्ञ, मूर्ति स्थापना एवं श्री राम कथा की सफलता के लिए प्रथम पूज्य गणपति महाराज को 14 मई को सुबह 8:15 बजे श्री राम मंदिर पर न्योता जाएगा। श्री राम मंदिर दौसा के महंत महामंडलेश्वर अमरदास महाराज ने बताया कि 28 मई 2025 से 5 जून 2025 तक श्री मारुति महायज्ञ, मूर्ति प्रतिष्ठा एवं श्री राम कथा का आयोजन राम मंदिर दौसा पर किया जा रहा है।

इसमें वृंदावन से साध्वी पीतांबरी दीदी द्वारा राम कथा का वाचन किया जाएगा। इसके साथ ही 11 कुंडीय श्री मारुति महायज्ञ का आयोजन भी होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अजमान ललिता देवी एवं गिरिराज शर्मा खेड़ला खुर्द दौसा हाल निवासी लुधियाना पंजाब होंगे।उन्होंने श्री राम मंदिर दौसा एवं दौसा नगरी के समस्त भक्त जनों से प्रथम पूज्य गणेशजी को न्योता देने के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आग्रह किया है।

शराब की अवैध दुकान के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

पावटा। विराटनगर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत चतरपुरा के धोली कोठी बस स्टैंड के नजदीक पिछले दिनों खोले गए शराब गोदाम पर अवैध रूप से शराब बेचने को लेकर सोमवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार अल सुबह ही आसपास की ढाणियों के ग्रामीणों ने शराब की दुकान के सामने एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं करीब दो घंटे तक जब प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा तो ग्रामीण टेंट लगाकर शराब दुकान के सामने धरने पर बैठ गए।

विरोध जता रहे ग्रामीण प्रहलाद बरवा, सेढूराम, धन्ना लाल, रामदेव, मनीष, राहुल, श्रवण, रोहिताश, प्रकाश, सीताराम ने बताया कि आबकारी विभाग ने बीलवाड़ी बस स्टैंड पर शराब बेचने के लिए दुकान अधिकृत कर रखी है। लेकिन बीलवाड़ी बस स्टैंड पर संचालित शराब की दुकान के ठेकेदार ने धोली कोठी स्टैंड से महज 100 मीटर की दूरी पर शराब गोदाम के नाम से दुकान स्वीकृत करवा कर धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। ग्रामीण मालीराम, बीरबल, धूडाराम, धन्नाराम ने बताया की जहां पर अवैध शराब बेची जा रही है उससे महज 100 मीटर की दूरी पर सरकारी विद्यालय स्थित है। इस सरकारी विद्यालय में बालिकाएं भी अध्ययन करती है। शराब की दुकान से लोग शराब खरीदकर आसपास पीने के लिए बैठ जाते है। एवं विद्यालय में आने जाने वाली बालिकाओं को घूरते है। जिससे विद्यालय में आने जाने वाली बालिकाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहां आसपास की ढाणियों के लोगों खड़े रहकर वाहनो का इंतजार करते है। यहां अल सुबह ही शराब की बिक्री शुरू हों जाती है बेरोकटोक देर रात तक जारी रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में उपखंड अधिकारी, सीओ विराटनगर, आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया जिससे मजबूरन ग्रामीणों को धरने पर बैठना पड़ा।

धरने की सूचना पर पटवारी सीताराम ज्योतिषी मौके पर पहुंचे एवं धरनार्थियों से वार्ता कर शराब ठेकेदार को सात दिन में दुकान हटाने के निर्देश दिए। जिस पर ग्रामीण शांत हुए। शराब ठेकदारों व आबकारी विभाग तथा पुलिस की मिलीभगत से क्षेत्र में केवल धोली कोठी ही नहीं इसके अतिरिक्त मैड, जवानपुरा , पालड़ी, घेवता , तेवड़ी, सोठाना सहित दर्जनों स्थानों पर गोदाम के नाम पर शराब की अवैध दुकान संचालित हो रही है।

समस्या के समाधान को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन

भरतपुर (निस)। समाधान के लिए हाथो में झंडे बैनर लेकर जिन्दावाद एव मुर्दाबाद ,अन्य प्रकार की बेअसर हो रही नारेबाजी के बीच भरतपुर जिले के उच्चौन कस्बे की आबादी में जलभराव एव अन्य समस्या के समाधान को लेकर महिलाओं ने अनूठा प्रदर्शन करते हुए राजनेता और प्रशासन को चेताया,साथ ही मुख्यमंत्री तक कस्बे की समस्याओ को पहुंचाने की गुहार की। महिलाओं के इस अनोखे प्रदर्शन को देख कस्बे के प्रशासन में खलबली मच गई,जो स्वयं के बचाव केलिए कई प्रकार के उपाय किया। कुछ अधिकारी इधर-उधर हो गए।कई अधिकारी दूरी से महिलाओं के प्रदर्शन का नजारा देखते नजर आए। प्राप्त जानकारी अनुसार उच्चौन कस्बे में वाटर बॉक्स कॉलोनी में लम्बे समय से जलभराव की समस्या को लेकर कई बार सांसद और विधायक से मिले। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित कस्बे में लगे प्रशासन को भी अवगत कराया गया। कस्बे के लोगों ने कई बार जनसुनवाई में भी यह मुद्दा भी उठाया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस से खफा होकर महिलाएं प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए। जिन्होंने

समस्या के समाधान के लिए उक्त कार्यालय के बाहर ढोलक,मंजीरा बजाकर श्रीनाथ जी सहित अन्य देवी देवता व लोक देवताओं का भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया।पीड़ितो द्वारा समस्या को लेकर बताया गया कि कस्बे में की वाटर बॉक्स कॉलोनी में नालियों के ओवरफ्लो होने के कारण सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है जिससे दुपहिया वाहन फिसल कर गिर जाते हैं और लोग चुटैल हो जाते है। स्कूल जाने बाले बच्चो को गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है, जिससे उनकी ड्रेस खराब हो जाती है। गंदे पानी की वजह से कॉलोनी में मच्छरों का आतंक है, घरों में गंदा पानी घुस रहा है एवं बदबू के कारण लोग परेशान हैं।

चिकित्सा संस्थानों में अनीमिया मुक्त राजस्थान 'शक्ति दिवस' मनाया

कोटपूतली। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पूरण चन्द गुर्जर के नेतृत्व में मंगलवार को अनीमिया मुक्त राजस्थान "शक्ति दिवस" मनाया गया। शक्ति दिवस का आयोजन प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्रों, राजकीय विद्यालयों, उप स्वा0 केन्द्रो, हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर, सीएचसी, पीएचसी व राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर किया जाता है।

बीसीएमओ ने मंगलवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर-आरोग्य परम धनम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भालोजी, शहरी पीएचसी नागाजी की गौर समेत विभिन्न उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने हीटवेव व लू तापघात एवं मौसमी बीमीरियों को देखते हुये स्वास्थ्य केन्द्रों पर आगामी तीन माह का दवाईयों का स्टॉक रखने एवं रिकॉर्ड संधारण करने व नियर एक्सपायरी दवाईयों का समय पर नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिये। साथ ही अनीमिया मुक्त राजस्थान "शक्ति दिवस" अभियान का निरीक्षण करते हुये कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य अनीमिया की पहचान प्रारम्भिक अवस्था में कर अनीमिया की दर को कम करना है। शक्ति दिवस पर अनीमिया की स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जांच व अनीमिया का उपचार, आयरन की टेबलेट्स का वितरण एवं अनीमिया संबंधी जागरूकता तथा व्यवहार परिवर्तन हेतु गतिविधिया आयोजित की गई।

मंगलवार को ब्लॉक कोटपूतली में शक्ति दिवस का आयोजन कर 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे 5994, 5 वर्ष से 09 वर्ष के बच्चे 1311, 10 से 19 वर्ष की किशोर एवं किशोरियों 1390, गर्भवती महिलाऐं 764 एवं धात्री माताये 572 इस प्रकार कुल 10031 लाभार्थीयों को लाभान्वित किया गया।

चिकित्सा अधिकारी डॉ. पूरण चन्द गुर्जर के नेतृत्व में अनीमिया मुक्त राजस्थान शक्ति दिवस मनाया।

■ 'मरीजों की सेवा को प्रथम कर्तव्य मानते हुये कार्य करें'

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम अशोक कुमार महला से बदलकर अशोक कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी एम-1/14, एल.आई.सी.फ्लेट्स, सेक्टर 6, विद्याधर नगर, जयपुर

मैं गिर्राज प्रसाद शर्मा पुत्र बसन्ता राम, निवासी-उचेकापुरा, पीपलपुरा, करौली राजस्थान-322241 मैंने अपना नाम गिर्राज प्रसाद से बदलकर गिर्राज प्रसाद शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

मेरा नाम आकाश पुत्र श्री चैना राम से बदलकर अपना नाम आकाश चौधरी पुत्र श्री चैना राम रख लिया है भविष्य में मुझे आकाश चौधरी पुत्र चैना राम के नाम से जाना जावे। पता-48, गोकुल विहार-ए, बुद्धिसिंहपुरा, सांगानेर जयपुर 302029

मैने मेरा नाम दिनेश चन्द्र पाल से बदलकर दिनेश पाल रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। दिनेश पाल पुत्र श्री गोविन्द चन्द्र पाल 181/118 प्रताप नगर, सांगानेर

I Mukesh Kanwar D/o Parthvee Singh Shekhawat R/o Ward No-04, Bagoli Jhnjhunun, Rajasthan-333801, have changed my name to Manvi Kanwar

I Jaisa Ram S/o Ramesh Kumar R/o Nagneshiyan Dhoondha, PO-Kavas, Dist-Barmer, Rajasthan - 344035, have changed my name to Jaswant Jangid

I Ratni is legally wedded spouse of service no 10301786 Ex Hav Late Jagdish S/O Ramkishor resident of plot no 173 Rajeev nagar hatwata hasanpura Jaipur That i have changed my name which is wrongly entered in my husband service record From RATNI To RATANI vide affidavit dated 7may 2025 before district notary Jaipur

खोया पाया

मेरे मकान नंबर 174/74 प्रताप नगर सांगानेर का अलोटमेंट लेटर कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। सुमन शुक्ला 9828651088

मेरा Flat No. B1/0/2 द्वारकापुरी अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें-9057006666

मेरे मकान 3/714 मालवीय नगर जयपुर का मूल मुख्तारनामा मालवीय नगर में कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें 9829181888 सावित्री देवी।

मेरे आवास संख्या 68/193, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर का मूल भौतिक कब्जे की मूल प्रति कहीं गिर/गुम गयी है मिलने पर सूचित करें- सुरेश कुमार 9829152330

जे.डी.ए. की योजना- अभिनव विहार विस्तार के प्लाट नं- K-413 के जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन-पत्र और कब्जा पत्र जयपुर मे कही खो गये है सूचित करे- हिरा नन्द पमनानी मो- 9460141640

मेरे भूखण्ड सं- सी-209 जे.डी.ए. की योजना अनुपम विहार, अजमेर रोड जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन-पत्र कही गुम हो गया है सूचित करे- सीताराम रैगेर मो- 9414253870

मेरे भूखण्ड सं- B/617 जे.डी.ए. की योजना रोहिणी एन्क्लेव जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन-पत्र कही गुम हो गया है सूचित करे- शम्भू दयाल योगी मो- 9079082116

मेरे भूखण्ड सं- A-3 निजी खातेदारी की योजना- नन्द विहार- ग्राम-कल्याणपुरा उर्फ़ खातीपुरा तह-सांगानेर जयपुर का मूल पट्टा, साईट प्लान और संग्लन स्टाम्प पेपर कही खो गये है सूचित करे आशीष कुमार जारवाल मो- 9414845263

I have lost Original document of my property Somewhere Between Malviya Nagar Industrial Area And Lal Kothi, Jaipur, If found please inform Mr. Vijay Ahuja 10, Palmcourt Colony, Jagatpura Jaipur

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउंसिल दारा जारी राजस्थान फार्मासिस्ट पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 31719, जारी दिनांक 17/05/2010 कहीं खो गया है जो इस समय कहीं लगा हुआ नहीं है। मिलने पर उक्त पते 65, Jeevandeep Colony, Road No.14, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan 302013 पर पहुंचाने का श्रम करें। नाम एवं पता- Mukesh Yadav, 65, Jeevandeep Colony, Road No.14, V.K.I. Area, Sikar Road, Jaipur. Rajasthan 302013

आम सूचना हर आम व खास को सुचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य रामवतार पुत्र श्री हरिनारायण जाति ब्राह्मण नि0 दूदू तह0 मौजमाबाद एंव श्रीमति शांति देवी पत्नि श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण नि0 जोबनेर जिला जयपुर के पुत्र / दौहिता विजय गौड पुत्र श्री रामवतार हाल नि0 जोबनेर जिला जयपुर जो की गलते संगत एंव दुर्व्यसनों मे पडकर मेरे अभिभाष्यगण की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है तथा विजय गौड अपने कर्तव्य एंव दायित्वो से विमुख हो चुका है। मेरे अभिभाष्य अपनी चल अचल पैतृक स्वअर्जित सम्पति से विजय गौड को पूर्व मे ही बेदखल कर चुके है। अगर विजय गौड किसी भी आम व खास से किसी भी प्रकार का संव्यवहार करार या उधारी प्राप्त करता है तो मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नही होगी। मेरे अभिभाष्यगण विजय गौड को अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करते है।
दिनांक:14/5/25 भैरूलाल शर्मा, एडवोकेट, मो.9829372772

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर
सोफिया स्कूल के सामने घाटगेट जयपुर पिन कोड 302003
क्रमांक-F-52/DC/KPZ/2025/218 दिनांक-3/5/2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती विमला जैन पुत्री स्व आसानन्द जैन ने दुकान नं. 106 नेहरू बाजार जयपुर का नाम हस्तान्तरण चाहने हेतु आवेदन पत्र के साथ स्वामित्व संबंधित दस्तावेजो की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति का स्वयं के क्षेत्रफल 20.44 वर्गमीटर का नाम हस्तान्तरण कर फ्री होल्ड पट्टा चाहा है। उक्त दुकान के नाम हस्तान्तरण के संबंध मे किसी व्यक्ति सरकारी / गैर सरकारी संस्था या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे। बाद मियाद गुजरने के आवेदन का नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा।
उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर (हैरिटेज)

आम सूचना सर्वसाधारण को यह सुचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य रसूल मुहम्मद पुत्र वकीलएवं अफसाना बैगम पत्नि रसूल मुहम्मद निवासी बन्धा बस्ती नाहरी का नाका, का पुत्र मौहम्मद हासिम एवं उसकी पत्नि आफरीन मेरे मुवक्किल के कहने मे नही है तथा दोनो मिलकर आये दिन मेरे मुवक्किल से दुर्व्यवहार करते है, बेइज्जती करते है, मुझसे अनुचित राशि की मांग करते है, इन दोनो ने मेरे मुवक्किल का जीना दुश्वार कर दिया है, इसलिए मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र मौहम्मद हासिम एवं उसकी पत्नि आफरीन को अपनी समस्त चल-अचल संपति से बेदखल कर दिया है, आज से मौहम्मद हासिम एवं उसकी पत्नि आफरीन का मेरे मुवक्किल व उसकी समस्त चल-अचल संपति से कोई संबंध व हक अधिकार नही रहा है तथा इन दोनो के द्वारा किसी भी व्यक्ति से किये जाने वाले संव्यवहार, लेन-देन तथा आपराधिक कृत्य व कार्यो के बारे मे मेरे मुवक्किलान की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नही है। अतः सूचित रहे।
(अब्दुल सलीम खांन) एडवोकेट, मो.9829098127

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. श्री कुन्दन सिंह बिष्ट निवासी-प्लॉट नम्बर-64, गंगा कॉलोनी, साधना अस्पताल के पास, खातीपुरा रोड, जयपुर की है मेरी अभिभाष्या के पुत्र राजेन्द्र सिंह बिष्ट उर्फ पिंकू एवं मेरी पुत्रवधु मिनाक्षी (देवयानी) दोनो ही मेरी अभिभाष्या को मानसिक व शारिरीक रूप से हैरान-परेशान करते है एवं हर समय लडाई - झगडे करते रहते है इसलिए मेरी अभिभाष्या अपनी स्वयं की चल व अचल सम्पत्ति से दोनों को ही आज दिनांक से बेदखल करती है। अन्य कोई भी दीगर व्यक्ति, संस्था से ये दोनों किसी भी प्रकार का लेनदेन करते है तो मेरी अभिभाष्या की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी। सनद रहे।
जयपुर (हेमेन्द्र सिंह राणावत) एडवोकेट
दिनांक:13/5/25 मो.9829179605

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती चंचल सिखवाल पत्नि श्री प्रदीप सिखवाल निवासी 42, संजय कॉलोनी, नेहरू नगर, जयपुर राजस्थान 302016 यह सूचित करती है कि उनके प्लेट नं. बी 101, सिल्वर स्प्रिंग अपार्टमेन्ट, ग्राम भुवाणा, उदयपुर राज. के मूल रजिस्ट्री दस्तावेज कहीं खो गये है मेरी अभिभाष्या उक्त फ्लेट की विक्रय प्रक्रिया मे है अतः यदि किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था या अन्य किसी पक्ष को इस संपत्ति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति, दावा या अधिकार हो तो कृपया प्रकाशन की तिथी 13.5.2025 से 15 दिवस के भीतर लिखित मे मेरी अभिभाष्या के पते-42, संजय कॉलोनी, नेहरू नगर, जयपुर राजस्थान 302016 पर सूचित करें या मुझसे संपर्क करें। यदि निर्धारित समय सीमा मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मेरी अभिभाष्या विक्रय प्रक्रिया को आगे बढा सकती है यानी इस संपत्ति का विक्रय किसी अन्य पक्ष को कर सकती है उसके बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एडवोकेट, मुकेश सिखवाल, आनन्द नगर, सीकर राजस्थान 332001, Reg.No. R/2459/2010 मो.नं.9828106349

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
ऑनलाईन आवेदन- 215457
क्रमांकः जविप्रा / जोन-9/2025/डी- 1582 दिनांक:8/5/25
आम सूचना निजी खातेदारी की योजना गुलाब विहार के भूखण्ड संख्या 45 क्षेत्रफल 211.28 वर्ग गज की लीजहोल्ड श्री विमल कुमार पुत्र श्री ताहील राम के नाम से दिनांक 23.12.2010 को जारी किया गया है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान होने पर जोन कार्यालय द्वारा दिनांक 14.03.16 को श्री अवनीत सिंह पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र सिंह के नाम से नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया है। तत्पश्चात श्री अवनीत सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2018 के द्वारा एम.आर.एस.बी. बिल्डर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री श्याम सुन्दर शर्मा को कर दिया गया। तत्पश्चात एम.आर.एस.बी. बिल्डर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2019 के द्वारा श्री विमलेश शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा को कर दिया गया। तत्पश्चात श्री विमलेश शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2024 के द्वारा श्री गीता गोयल पत्नी श्री महावीर प्रसाद गोयल को कर दिया गया। तत्पश्चात श्री गीता गोयल द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2024 के द्वारा श्रीमती मुन्ना देवी साह पत्नी स्व. श्री कैलाश चन्द साह को कर दिया गया। आवेदिका श्रीमती मुन्ना देवी साह द्वारा विक्रय पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत नही की जाकर प्रमाणित प्रति फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है। आवेदिका श्रीमती मुन्ना देवी साह द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजहोल्ड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः निजी खातेदारी की योजना गुलाब विहार के भूखण्ड संख्या 45 की लीजहोल्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध मे कार्यवाही की जानी है। इस सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अदीन प्रस्तुत करे,अन्यथा लीजहोल्ड जारी किये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-9

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अदालत अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या - 2, भरतपुर के द्वारा पारित डिक्री के अनुसार सांई बाबा मन्दिर के सामने, चौड़ा रास्ता, जयपुर में स्थित जायदाद मकान नं. 2562 जो स्व० श्री सुरेश चन्द मित्तल पुत्र स्व० श्री तुलसीराम मित्तल निवासी भरतपुर के स्वामित्व व आधिपत्य की रही है, जिसमें मकानात, दुकानात बने हुये हैं जिसके विभाजन के दावे में अदालत के निर्णय दिनांक 10.09.2024 की अनुपालना में मनीष कुमार पुत्र स्व० श्री सुरेश चन्द मित्तल निवासी पत्रकार कॉलौनी, जयपुर का आधा हिस्सा एवं दीपक उर्फ सार्थक पुत्र मनीष कुमार निवासी गिर्राज नगर कॉलौनी, किला, भरतपुर (राज०) व आधा हिस्सा के स्वामी व वैधानिक आधिपत्यधारी घोषित किये हैं एवं एक दूसरे की सहमति के बिना उक्त जायदाद को कहीं भी रहन वय मुन्तकिल नहीं करेंगें एवं इसके प्रतिकूल कोई कार्यवाही किये जाने पर उक्त कार्यवाही अवैध व अनाधिकृत होगी एवं कियावेदार व अन्य व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी रहेंगें।
भवदीय
दीपक उर्फ सार्थक पुत्र मनीष कुमार
निवासी गिर्राज नगर कॉलौनी
किला, भरतपुर (राज०)

ANIL SHARMA
Advocate Rajasthan High Court
32 U.I.T. Quarteers, Shastri Nagar, AJMER, Mobile-9414010765
आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय जायदाद फ्लेट संख्या 105, वाके पाल्म ग्रोव एच-3, चितरंजन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001 जिस